

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25082023-248343
CG-DL-E-25082023-248343

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3647]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 25, 2023/भाद्र 3, 1945

No. 3647]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 25, 2023/BHADRA 3, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2023

का.आ. 3807(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है, अतः एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, नामतः -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को सोलर डीसी केबल और फायर सर्वाइवल केबल (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के छह महीने की अवधि के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग - तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुसूची भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
सोलर डीसी केबल	17293: 2020	1500 वोल्ट डीसी के लिए नियत वोल्टेज फोटोवोल्टिक प्रणाली हेतु इलेक्ट्रिक केबल
फायर सर्वाइवल केबल	17505 (भाग 1): 2021	1100 वोल्ट एसी और 1500 वोल्ट डीसी तक के कार्यकारी वोल्टेज के लिए थर्मोसेटिंग इंसुलेटेड, फायर सर्वाइवल केबल

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/6/2022-एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE)

ORDER

New Delhi, the 24th August, 2023

S.O. 3807(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) This order may be called the Solar DC Cable and Fire Survival Cable (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in the column (1) of the Table shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-1 of Schedule-II to the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for export.

3. Certification and enforcement authority. - The Bureau of Indian Standards shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the Table.

4. Penalty for Contravention. - Any person who contravenes the provisions of this Order shall be punishable under the provisions of the Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Solar DC Cable	17293: 2020	Electric Cable for Photovoltaic Systems for rated voltage 1500 V DC
Fire Survival Cable	17505 (Part 1): 2021	Thermosetting Insulated, Fire Survival Cables for working voltages upto and including 1100 V AC and 1500 V DC

Note : For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards from time to time shall apply.

[F. No P-29026/6/2022-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.